(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 77/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 02.12.2024 निर्णय दिनांक : 11.02.2024

1. अजीतसिंह पुत्र रघुवीरसिंह पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी मांढण तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.। – प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
2. अभयसिंह पुत्र प्रभूदयाल
3. रघुवीरसिंह पुत्र प्रभूदयाल
4. कान्ता देवी पुत्री हरदयाल
5. दिनेशचन्द पुत्र हरदयाल
6. नरेश कुमार पुत्र हरदयाल
7. मुकेश पुत्र हरदयाल
8. राजेश पुत्र हरदयाल
9. हरपाल पुत्र हरदयाल
10. इन्द्राज पुत्र सगरूराम

जातियान राजपूत निवासीयान मांढण, तहसील माढण, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.
– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष उनवानी वाद अजीतसिंह बनाम अभयसिंह वगै0, मुकदमा संख्या 117/2024 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 89/2024 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री संजू यादव एड. – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विनोद कुमार यादव एड. – अप्रार्थी संख्या 06, 08, 10 की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष उनवानी प्रकरण अजीतसिंह बनाम अभयसिंह वगै0, मुकदमा संख्या 117/2024 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 89/2024 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 06, 08, 10 की ओर से श्री विनोद कुमार यादव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत रखी जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष वाद मय स्थगन प्रार्थना पत्र उनवानी अजीतसिंह बनाम अभयसिंह वगै0 जेरकार है। उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण ने गांव में ऐलानिया कहा है कि हमारी उपखण्ड अधिकारी नीमराना से बात हो गयी है कि वे दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज करेंगे। अप्रार्थीगण भूमाफिया है व संख्या बल, बहुबल एवं धनबल युक्त है। अप्रार्थीगण की ऐलानियां धमकी से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को न्याय

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

नही मिलेगा। अप्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने के कारण प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन वाद मय प्रार्थना पत्र टी.आई 212 आरटीएक्ट बउनवान अजीतसिंह बनाम अभयसिंह वगै0 को अन्यत्र किसी सक्षम अधिकारी के न्यायालय में मुन्तकिल करने का आदेश फरमावें।

4. अप्रार्थीगण नम्बर 06, 08, 10 ने अपनी बहस में प्रार्थी अधिवक्ता के उक्त तर्को का खण्डन करते हुये जाहिर किया की प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य रखकर एकतरफा स्थगन प्राप्त कर रखा है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में बहस नहीं करना चाहते है। उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद मय स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारण में बेवजह देरी करवाकर न्याय पर पर्दा डालना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करने की कृपा करें।

5. वकील उभय पक्षकारान को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में एकतरफा स्थगन प्राप्त कर रखा है, उक्त तथ्य को प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं करते हुए मुगालते में रखते हुए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो न्यायसंगत नही है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। वकील उभय पक्षकारान को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। इस प्रकार प्रार्थी की मन्शा उचित प्रतीत नही होती है तथा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा चूंकि प्रकरण में न्यायालय को गुमराह कर प्रार्थना पत्र पेश करने के कारण प्रार्थी को 1000/– शब्देन एक हजार रूपये शास्ती लगाई जाती है। आरोपित शास्ती प्रार्थी अप्रार्थीगण को अदा करेंगे। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़